Download by Email
Date – 2/6/17

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 2459 /अमरोहा/25152/2017, दिनांक, लखनऊ, मई 01/6/, 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
मुरादाबाद वृत्त,
मुरादाबाद।

विषयः अमरोहा–कॉठ मार्ग (MDR-150) किमी0 21.840 से 26.540 तक दायीं पटरी पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा विकसित किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 55 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः आपका पत्रांक–3422/14–1, दि0 24.05.17

महोदय,

विषयक प्रस्ताव उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरान्त विदित होता है कि प्रस्ताव के साथ कतिपय सूचनायें पूर्ण एवं सुसंगत नहीं है जो निम्न प्रकार हैः–

1– प्रस्ताव के साथ संलग्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर प्रयोक्ता एजेंसी के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। सील सहित हस्ताक्षर अंकित करायें।

2– ऑनलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–11 एवं आफलाइन पार्ट–2 के बिन्दु–9 पर वन (संरक्षण) अधिनियम –1980 का उल्लंघन कर कच्चा नाला खोदने की सूचना अपलोड की गयी है व तद्नुसार दुगुन अवनत वनभूमि पर दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना, डिजिटल मैप, दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल चिन्हित टोपोशीट एवं उक्त स्थल की उपयुक्तता संलग्न की गयी है, किन्तु प्रस्ताव के साथ संलग्न प्राक्कलन में दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण का उल्लेख अंकित नहीं किया गया है, न ही प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि जमा करने की वचनबद्धता संलग्न की गयी है।

3– मक डिस्पोजल योजना भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में संलग्न नहीं की गयी है।

4– प्रस्ताव के साथ संलग्न पावर आफ अटार्नी स्वयं प्रस्तावक द्वारा दी गयी है, जो औचित्यपूर्ण नहीं है। उक्त प्राधिकार पत्र प्रस्तावक अधिकारी के किसी वरिष्ठ अधिकारी के स्तर से निर्गत होना चाहिए। कृपया तद्नुसार संशोधित प्रमाण–पत्र ऑनलाइन पार्ट–1 पर अपलोड करें व प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

5– ऑनलाइन पार्ट–1 के बिन्दु–बी–2.4 में अपलोड कम्पोनेन्ट त्रुटिपूर्ण है। संशोधित करें।

अतः उक्तानुसार सूचनायें एवं अभिलेख पूर्ण करने हेतु किसी प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रतियाँ इस कार्यालय से प्राप्त करा लें एवं सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

7095
14-1
02/6/2017

भवदीय,

(वाई0एस0के0शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 2459 / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। संशोधित प्रस्ताव वन संरक्षक, मुरादाबाद को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– परियोजना प्रबन्धक, यूनिट–18, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद।

आर– 7095
14-1 दिनांक 02/06/2017

(वाई0एस0के0शेषुकुमार)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार सूचनायें एवं अभिलेख पूर्ण करने हेतु किसी अपने प्रतिनिधि को अधिकृत करते हुए प्रस्ताव की मूल प्रति इस कार्यालय से तत्काल प्राप्त करा लें एवं सूचनाओं को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक
मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद

वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक